

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पिटल रोड,

शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं०सं०- PMAA/PRN/Abdulahck
sampatchak/B+G+14/32/2017 - 11

पटना, दिनांक- 09.05.2018

प्रेषक,

प्रभारी निदेशक,

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,

बिहार पटना।

सेवा में,

श्री कमलेश कुमार सिंह, (निदेशक)

Mahendra Green Homes Private Limited.

E/85, People's Co-operative Colony

Kankarbagh, Patna- 20

विषय:- प्लान केस संख्या-PMAA/PRN/Abdulahck
sampatchak/B+G+14/32/2017 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०- PMAA/PRN/Abdulahck
sampatchak/B+G+14/32/2017 दिनांक-23.11.2017 के संदर्भ में श्री कमलेश कुमार सिंह, निदेशक, महेन्द्रा ग्रीन होम्स प्राइवेट लि०, E/85, People's Co-operative Colony, Kankarbagh, Patna-20 पटना (बिहार) के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार आयोजना स्कीम के मौजा-अबदुल्लाचक, थाना-फुलवारी, थाना संख्या- 123, खाता सं०-09, 10, 26, 27, 33, 35, 43, 48 के सर्वे प्लॉट संख्या-411, 412, 414, 415, 418, 419, 420, 421, 422, 423, Tower A:- बेसमेन्ट +ग्राउण्ड+13, Tower B:- बेसमेन्ट+ग्राउण्ड+14, Tower C:- बेसमेन्ट+ग्राउण्ड+14, Tower D:- बेसमेन्ट+ग्राउण्ड+12 आवासीय एवं Tower A में बेसमेन्ट+ग्राउण्ड+4 मंजिला Convenience shopping हेतु आवासीय भवन के स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 16133.50 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा। बेसमेन्ट में Ventilation हेतु समुचित व्यवस्था बिहार भवन उपनिधि के आलोक में प्रावधान करना होगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

5. सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ पटना मास्टर प्लान 2031 में प्रावधानित:-

(I) पश्चिम में।

सामने में 45.00 मी० चौड़ी सड़क के लिए 7.65 से 7.67 मी० चौड़ी भू-पट्टी 65.80 मी० लम्बाई में कुल रकवा = 504.02 वर्गमीटर

(II) दक्षिण में।

30.5 मी० चौड़ी महायोजना की सड़क के लिए 10.37 से 10.68 मी० चौड़ाई कुल 90.70 मी० लम्बाई में $\left(\frac{10.37+10.68}{2}\right) \times 90.70 = 954.6175$ वर्गमीटर है।

(III) उत्तर में।

6.1 मी० सड़क के लिए 0.53 मी० से 0.52 मी० चौड़ी में कुल 48.00 मी० लम्बाई में भू-पट्टी कुल रकवा = $\frac{0.53+0.52}{2} \times 48.00 = 25.2$ वर्गमीटर है।

उपरोक्त चौड़ी पट्टी जो नक्शा में दर्शाया गया है, मुफ्त उपहार के रूप में प्राधिकार को देगा इस पर किसी प्रकार का दावा नहीं होगा और किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा।

6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमाम्य होगी।

7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

9. भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवायी की जायेगी।

10. बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

11. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल निकास जल निकास सड़क आदि जैसे संयोजन स्थल पर और स्थल के बाहर आधारभूत संरचना का एवं बिहार भवन उपविधि 8(5) के आलोक में विकास करना होगा।

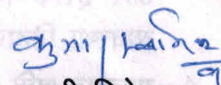
12. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।

13. नक्शा में दर्शाया गया S.T.P एवं Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।

14. SEIAA द्वारा पत्रांक-128/SEIAA/17 दिनांक-30/06/2017 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

15. राज्य में प्रभावी Affordable Housing Policy का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

विश्वासभाजन,


प्रभारी निदेशक,

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार
पटना।